राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 298/2015

राजीव बेनीवाल **–अपीलार्थी**

बनाम

1. जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 30.04.2015
आदेश की दिनांक : 17.05.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्रपाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावडा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 16.09.2008 को कांस्टेबल के पद पर हुई थी और उसे बैल्ट नं. 246 आंवटित किया गया। नियमानुसार 2 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर अपीलार्थी को स्थाई किया जाना चाहिए था। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा गठित बोर्ड ने दिनांक 29.03.2011 को परिवीक्षा अवधि का नि. (ए.पी) का मूल्याकंन करने के पश्चात आदेश दिनांक 30.03.2011 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी सहित अन्य कार्मिकों को स्थायीकरण हेतु अयोग्य मानते हुए प्रत्येक कर्मचारी के सम्मुख अंकित अवधि के लिए परिवीक्षा अवधि बढ़ाई गई। जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या–1 पर अंकित है। उक्त आदेश द्वारा अपीलार्थी की परिवीक्षा अवधि को 8 माह बढ़ा दिया गया, जिसका कारण विशेष विवरण में अंकित किया गया कि अपीलार्थी ने व्यहारिक प्रशिक्षण पूर्ण नहीं किया है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 17.08.2011 (अनुलग्नक–2) अपीलार्थी द्वारा रिक्रूट कानि. को जिसे 2 वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि पर नियुक्ति प्रदान की गई थी जिसकी परिवीक्षाधीन अवधि 2 अवधि पूर्ण होने से आदेश 10.08.2011 द्वारा गठित बोर्ड द्वारा दिनांक 17.08.2011 को प्रोबेशनर कानि. (ए.पी.) के कार्य का मूल्याकंन करने एवं परिवीक्षा अवधि संतोषजनक पाये जाने पर बोर्ड द्वारा स्थाई करने की अनुशंसा करने पर नाम के सम्मुख अंकित दिनांक स्थाई (Confirm) किया गया जाता है। कानि. पद पर स्थायीकरण की दिनांक से राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 2008 में कानि. पद का वेतन पीबी–1–5200–20200 ग्रेड पे 1900 में न्यूनतम वेतन रू. 7580 प्रतिमाह एवं अनुज्ञेय भत्ते नियमानुसार देय होंगे इसके लिए दिनांक 01.01.2004 से निर्धारित अशंदायी पेंशन योजना लागू होगी।

उक्त आदेश द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 16.05.2011 से स्थाई किया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 06.05.2010 द्वारा कांस्टेबल पद पर भर्ती कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिये जाने हेतु आदेश दिये गये। अपीलार्थी को उक्त आदेशानुसार व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु दिनांक 25.07.2010 को प्रताप नगर थाने हेतु रवाना किया गया। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 25.07.2010 को ही अपनी उपस्थिति व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु प्रताप नगर थाने पर प्रदान की गई, जिसका इन्द्राज रिपोर्ट संख्या–1493 पर अंकित है। अपीलार्थी सफलतापूर्वक व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा था कि प्रत्यर्थीगण द्वारा कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपीलार्थी का पदस्थापन पुलिस लाईन उदयपुर कर दिया गया एवं अपीलार्थी को दिनांक 26.07.2010 को रिर्जव पुलिस लाईन उदयपुर हेतु रवाना कर दिया गया। अपीलार्थी को पुनः दिनांक 15.04.2011 को व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु पुलिस थाना सलूम्बर हेतु कार्यमुक्त किया गया। अपीलार्थी द्वारा पुलिस थाना सलूम्बर में दिनांक 16.06.2011 तक सफलतापूर्वक व्यवहारिक प्रशिक्षण पूर्ण किया गया। अपीलार्थी को दिनांक 25.07.2010 एवं पुनः 15.04.2011 को व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु रिर्जव पुलिस लाईन उदयपुर से रवाना किया गया (अनुलग्नक–3 एवं 4)। राजस्थान सिविल सेवा नियमों के अनुसार ही एक संवर्ग में नियुक्त पदस्थापित कर्मचारी किसी भी कारण से अपने से कनिष्ठ कर्मचारी से कम वेतन प्राप्त नहीं कर सकता। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थीगण के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी को उससे कनिष्ठ कर्मचारियों के समान स्थायीकरण वेतन एवं वरिष्ठता का लाभ प्रदान किया जावे। प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थी के निवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 01.07.2014 (अनुलग्नक–5) द्वारा जरिये अधिवक्ता विधिक नोटिस प्रस्तुत किया गया। प्रत्यर्थीगण द्वारा उक्त नोटिस प्राप्त होने के पश्चात् ही आज दिवस तक उक्त नोटिस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई ना ही अपीलार्थी को उससे कनिष्ठ कर्मचारियों को स्थायी किये जाने की दिनांक से स्थाई किया गया, ना ही उससे कनिष्ठ कर्मचारियों को प्रदान वेतन वरिष्ठता एवं वेतन वृद्धि का लाभ ही प्रदान किया गया। अपीलार्थी नियमानुसार दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने पर दिनांक 15.09.2010 से स्थायी किए जाने का अधिकार है। अपीलार्थी द्वारा विभाग की सेवा से वजह से व्यवहारिक प्रशिक्षण .. नहीं किया जा सका। अपीलार्थी के समान पदस्थापित अन्य कर्मचारियों को बिना प्रशिक्षण के ही स्थायी किया गया है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 17.08.2011 (अनुलग्नक–2) को संशोधित किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें कि प्रत्यर्थीगण अपीलार्थी को 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि दिनांक 15.09.2010 को पूर्ण होने पर

दिनांक 15.09.2010 से अपीलार्थी को स्थायी करते हुए अपीलार्थी को उसके साथ नियुक्ति कर्मचारियों के समान वेतन वरिष्ठता एवं वेतन वृद्धि का लाभ मय 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान करें।

प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी आलौच्य आदेश को नियम विरूद्ध संशोधित करवाना चाह रहा है, जो कि नियमानुसार संशोधित नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी ने पुलिस के व्यवहारिक प्रशिक्षण का पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया तथा थाना प्रतापनगर से कानून व्यवस्था ड्यूटी हेतु अपीलार्थी अकेले को पुलिस लाईन नहीं भेजा गया था इस बैच के सभी प्रशिक्षणार्थियों को ही कानून व्यवस्था ड्यूटी हेतु बुलाया गया था तथा कानून व्यवस्था ड्यूटी के बाद सभी को अलग–अलग स्थानों पर भेजा गया था। टेस्ट के दौरान अपीलार्थी परेड आदि की गतिविधियां, रोजनामचा आम के बारे में समान्य से प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया था इसलिए परिवीक्षाकाल बढाने के कॉलम में अंकित किया था कि व्यवहारिक प्रशिक्षण पूर्ण नहीं कर पाया था। इसलिए अपील के साथ संलग्न आदेश दिनांक 30.3.2011 के क्रम सं.–01 के अनुसार उसका परिवीक्षाकाल 08 माह बढ़ा दिया गया। ऐसा मात्र यह अपीलार्थी के साथ नहीं किया गया बल्कि 05 अन्य का भी परिवीक्षाकाल बढ़ाया गया है। अपीलार्थी का केवल अकेला नाम होता तो दुर्भावना का आधार हो सकता था, लेकिन अन्य जो व्यवहारिक प्रशिक्षण में असफल रहे उनका भी कार्यकाल बढ़ाया गया है। अपीलार्थी राजस्थान पुलिस मेन्युअल के अनुसार व्यवहारिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण नहीं कर पाने के कारण उसका प्रोबेशन काल बढाया गया, जो उसके नियुक्ति आदेश में भी अंकित किया गया था कि प्रशिक्षण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के बाद स्थाई किया जायेगा। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के जवाब का जवाब–उल–जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जवाब में उक्त तथ्यों का अंकन गलत किया गया है। वास्तविक तथ्य यह है कि अपीलार्थी को थाना प्रतापनगर से कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु दिनांक 26.07.2010 को रिर्जव पुलिस लाईन हेतु रवाना कर दिया गया और अपीलार्थी ने राजकीय आदेशों की पालना करते हुए रिर्जव पुलिस लाईन उदयपुर में कार्य ग्रहण कर लिया, जबकि अपीलार्थी को व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया ही नहीं गया, बिना व्यवहारिक प्रशिक्षण के ही कन्फर्म टेस्ट लिये जाने का अंकन किया जाना भी अनुचित व अवैध है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपने जवाब के तथ्यों के संबंध में कोई रिकार्ड भी प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलार्थी को दिनांक 15.04.2011 को व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु थाना सलूम्बर हेतु कार्यमुक्त किया गया और अपीलार्थी ने पुलिस थाना सलूम्बर में सफलतापूर्वक व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। नियमों के अनुसार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दो वर्ष की निर्धारित अवधि में

व्यवहारिक प्रशिक्षण करवाया ही नहीं गया तथा दो वर्ष पश्चात दिनांक 15.04.2011 को व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु भेजा गया जिसे अपीलार्थी ने सफलतापूर्वक पूर्ण किया। निर्धारित दो वर्ष की अवधि में व्यवहारिक प्रशिक्षण नहीं करने में अपीलार्थी की कोई गलती नहीं है और नियमों के अनुसार अपीलार्थी नियुक्ति के पश्चात दिनांक 15.09.2010 से दो वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर स्थाईकरण का अधिकारी है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का पैरावाईज जवाब नहीं दिया गया। अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील के पैरा संख्या 7 में स्पष्ट अंकित किया था कि अपीलार्थी के समान अन्य कार्मिकों को बिना प्रशिक्षण के ही प्रत्यर्थीगण ने स्थाई कर दिया गया। स्थाईकरण आदेश दिनांक 02.11.2010 को जारी किया गया। उक्त आदेश में क्रम संख्या 42 पर गोपाल जोशी, क्रम संख्या 58 पर भजन सिंह, क्रम संख्या 67 पर धीरज शर्मा, क्रम संख्या 77 पर खुशीराम चौधरी, क्रम संख्या 115 पर उमराव सिंह गुर्जर के नाम का अंकन है उन्हें नियुक्ति दिनांक से दो वर्ष पश्चात ही स्थाईकरण कर दिया गया उक्त कार्मिकों ने व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त ही नहीं किया था जिसकी पुष्टि सूचना के अधिकार 2005 के तहत प्राप्त सूचना पत्र दिनांक 22.07.2014 के अवलोकन से की जा सकती है। उक्त कार्मिकों को व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु भेजा ही नहीं गया था (अनुलग्नक–6 एवं 7)। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी का व्यवहारिक प्रशिक्षण 15.04.2011 से करवाया गया और अपीलार्थी द्वारा सफलतापूर्वक व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया गया। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 17.08.2011 द्वारा दिनांक 16.05.2011 से स्थाई किया गया जो अनुचित व दुर्भावनापूर्ण है। नियमों के अनुसार अपीलार्थी की नियुक्ति दिनांक 16.09.2008 को कांस्टेबल के पद पर हुई थी। नियमानुसार दो वर्ष पश्चात अपीलार्थी 15.09.2010 से स्थाई किया जाना चाहिये। अतः अपील स्वीकार की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 16.09.2008 को कांस्टेबल के पद पर हुई थी। इसके पश्चात अपीलार्थी को आदेश दिनांक 07.05.2010 (अनुलग्नक–3) द्वारा कांस्टेबल के पद पर भर्ती कर्मचारियों को व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु आदेशित किया गया था तथा अपीलार्थी राजीव बेनिवाल को उक्त आदेशानुसार व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु दिनांक 25.07.2010 को प्रताप नगर थाने हेतु रवाना किया गया। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 25.07.2010 को ही अपनी उपस्थिति व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु प्रताप नगर थाने पर प्रदान की गई। अपीलार्थी सफलतापूर्वक व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा था कि प्रत्यर्थीगण द्वारा कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपीलार्थी का पदस्थापन पुलिस लाईन उदयपुर कर दिया गया एवं अपीलार्थी को दिनांक 26.07.2010 को रिर्जव

पुलिस लाईन उदयपुर हेतु रवाना कर दिया गया। अपीलार्थी को पुनः दिनांक 15.04.2011 को व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु पुलिस थाना सलूम्बर हेतु कार्यमुक्त किया गया। अपीलार्थी द्वारा पुलिस थाना सलूम्बर में दिनांक 16.06.2011 तक सफलतापूर्वक व्यहवारिक प्रशिक्षण पूर्ण किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 30.03.2011 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी जिसे दो वर्ष परिवीक्षाधीन अवधि पर नियुक्ति प्रदान की गई थी, मूल्यांयकन करने के पश्चात् स्थायीकरण के लिए अयोग्य मानते हुए परिवीक्षा अवधि को 8 माह बढ़ा दिया गया। जिसका कारण विशेष विवरण में अंकित किया गया कि अपीलार्थी ने व्यहारिक प्रशिक्षण पूर्ण नहीं किया है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 17.08.2011 (अनुलग्नक–2) द्वारा अपीलार्थी को स्थाईकरण दिनांक 16.05.2011 से किया गया। जबकि अपीलार्थी के साथ नियुक्त हुए कर्मचारी अपीलार्थी से पहले प्रशिक्षण प्राप्त करने के आधार पर उससे पहले स्थाई कर दिये गये। जिससे अपीलार्थी को उनसे कम वेतन प्राप्त हो रहा है एवं वेतन वृद्धि भी एक वर्ष पश्चात जारी की गई है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत कर स्पष्ट किया गया कि अपीलार्थी ने पुलिस के व्यवहारिक प्रशिक्षण का पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया तथा थाना प्रतापनगर से कानून व्यवस्था ड्यूटी हेतु अपीलार्थी अकेले को पुलिस लाईन नहीं भेजा गया था इस बैच के सभी प्रशिक्षणार्थियों को ही कानून व्यवस्था ड्यूटी हेतु बुलाया गया था। अपीलार्थी टेस्ट के दौरान परेड आदि की गतिविधियां रोजनामचा आम के बारे में आदि सामान्य से प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया था। इसलिए उसका परिवीक्षा काल 08 माह बढ़ा दिया गया। यह अपीलार्थी के साथ नहीं किया गया बल्कि जोकि 05 अन्य का भी परिवीक्षाकाल बढ़ाया गया है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने का निवेदन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए प्रत्यर्थी विभाग के निर्देशानुसार समय–समय पर उपस्थित होता रहा है। व्यावहारिक प्रशिक्षण के विलम्ब में अपीलार्थी का किसी प्रकार कर दोष या लापरवाही प्रतीत नहीं होती है। व्यावारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने में जो देरी हुई है, वह विभाग के स्तर पर है तथा नियमों के अनुसार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दो वर्ष की निर्धारित अवधि में व्यवहारिक प्रशिक्षण नहीं करवाया गया तथा दो वर्ष पश्चात दिनांक 15.04.2011 को व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु भेजा गया जिसे अपीलार्थी ने सफलतापूर्वक पूर्ण किया। निर्धारित दो वर्ष की अवधि में व्यवहारिक प्रशिक्षण नहीं करने में अपीलार्थी की कोई गलती नहीं है और नियमों के अनुसार अपीलार्थी नियुक्ति के पश्चात दिनांक 15.09.2010 से दो वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर स्थाईकरण का अधिकारी है। राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 39 में स्पष्ट किया गया है कि दो वर्ष की अवधि पूरी होने

के बाद भी अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण विभागीय परीक्षा आयोजित नहीं होती है तो उम्मीदवार विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उस तिथी से स्थाईकरण के लिए पात्र हो जायेगा। नियम 39 का प्रासंगित अंश निम्नानुसार हैः–

"39. Confirmation, extention of probation and discharge- A member of the service who successfully completes his probation period and passes the Departmental Examination prescribed by Director General of Police shall be eligible for confirmation at the end of the probation period, provided the Appointing Authority is satisfied that his integrity is unquestionable and that he is otherwise fit for confirmation.

Explanation- (1) In case the Departmental Examination could not be held due to unavoidable circumstances even after completion of two years' period, the candidate will become due for confirmation after passing of the departmental examination with effect from the date on which he completed the probation period."

उक्त के दृष्टिगत अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 17.08.2011 (अनुलग्नक–2) को संशोधित किये जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि दिनांक 15.09.2010 को पूर्ण होने पर दिनांक 15.09.2010 से अपीलार्थी को स्थायी करते हुए अपीलार्थी को उसके साथ नियुक्त कर्मचारियों के समान वेतन, वरिष्ठता एवं वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान किया जावे।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य